न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 77 / 2016

भूपराम पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई निवासी चक 64 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. रामस्वरूप
2. साहबराम
3. राजाराम
4. छोटूराम
5. धर्मपाल

पिसरान हरीराम जाति बिश्नोई चक 64 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. जगदीश पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 64 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. रामस्वरूप पुत्र रामरतन जाति बिश्नोई निवासी 64 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

8. कृष्णलाल
9. जगदीश
10. हरीराम
11. रामकुमार

पिसरान मनफूलराम पुत्र छोगा जाति बिश्नोई निवासी 64एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

12. बैंक आफ इण्डिया शाखा सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ।
13. एस.एस.बी.जे. बैंक शाखा गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ।
14. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय व डिक्री
दिनांक 14.03.2015 संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015

उपस्थिति–

श्री बलदेव बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2
श्री राजाराम भादू अभिभाषक रेस्पों.सं. 4
श्री विनोद बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 6 से 11
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 28-6-19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1, 2 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट पेश किया। वाद पत्र में वादीगण द्वारा चक 8 डी.बी.एन के खाता सं. 79/75 तथा 50/47 में कब्जा काश्त मुताबिक हक व हिस्सा का खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

(A) प्रतिवादी सं. 1 राजाराम ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद की बिन्दु सं. 1 वादी से सम्बन्धित है। वाद पत्र की बिन्दु सं. 2, 3, 4, 5, 7, 8 स्वीकार है और बिन्दु सं. 6 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में निवेदन किया कि कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए वाद डिकी किया जावे।

(B) प्रतिवादी सं. 2 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद की बिन्दु सं. 1 वादी से सम्बन्धित है। वाद पत्र की बिन्दु सं. 2, 3, 4, 5, 7, 8 स्वीकार है और बिन्दु सं. 6 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में निवेदन किया कि कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए वाद डिकी किया जावे।

(C) प्रतिवादी सं. 3 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद की बिन्दु सं. 1 वादी से सम्बन्धित है। वाद पत्र की बिन्दु सं. 2, 3, 4, 5, 7, 8 स्वीकार है और बिन्दु सं. 6 अस्वीकार है। प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में निवेदन किया कि कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते हुए वाद डिकी किया जावे।

(D) प्रतिवादी सं. 14 बैंक आफ इण्डिया शाखा सरदारपुरा बीका ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं. 6 एवं 8 द्वारा हमारी शाखा में अपना हिस्सा रहन रखा गया है। पक्षकारों द्वारा रहन रखे गये हिस्सानुसार बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन किया जाता है तो रहन का अंकन यथावत भूमि पर रखा जावे।

(E) अधी. न्यायालय ने पक्षकारों को सुनकर दिनांक 14.03.2015 को वाद वादीगण स्वीकार करने के आदेश दिये। अधी. न्यायालय ने अपने आदेश में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर (राज.)

यह भी अंकित किया है कि किसी पक्षकार के पक्ष में भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा।

(F) प्रतिवादी सं. 1 राजाराम ने दिनांक 23.06.15 को प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान रामस्वरूप बगै. बनाम राजाराम बगै. वाद पत्र में पुनः तारीख पेशी में लेकर आदेश एवं डिक्री में खाता सं. 71/14 व.नं. 65/281 कि.न. 17/0.168है0 नहरी प्रतिवादी सं. 1 राजाराम के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(G) उपखण्ड सूरतगढ ने प्रा.पत्र की पुश्त सरिस्ते रिपोर्ट दिनांक 23.06.2015 को आदेश दिये कि संशोधित डिक्री वास्ते हस्ताक्षर पेश हो और दिनांक 23.06.2015 को संशोधित डिक्री जारी की गई।

(H) उक्त आदेशों से व्यथीत होकर प्रतिवादी सं. 6/अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट की तामील करवाये बिना उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपीलांट कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विभाजन के प्रस्ताव नहीं मंगवाए गये। सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी। अपीलाधीन आदेश में इस बिन्दु का भी ध्यान नहीं रखा गया कि खाता विभाजन में प्राप्त होने वाले रकबे में रास्ते तथा खाले की सुविधा है या नहीं। वादीगण रेस्पों. सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3/रेस्पों. 3 ता 5 आपस में सगे भाई हैं। इन्होंने तीनों चकों की भूमि को सेटलमेंट करके बैयनामा आदि से हस्तांतरित होने वाली भूमि भी जैरअपील डिक्री से हस्तांतरण करवा कर राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पंहुचाया है। अपीलांट को उसके हिस्सा में आने वाली भूमि से कम भूमि बंटवारा में दी है। अपीलांट दिनांक 23.06.2015 को जारी संशोधित डिक्री को भी इस न्यायालय के माध्यम से चुनौती दे रहा है। अतः निवेदन है कि

अपीलाधीन आदेशों को निरस्त कर अधी. न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर तथा मौके के कब्जा काश्त तथा मुताविक हिस्सा, रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन करने बाबत निर्देश दिये जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपील के साथ दफा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें देरी बाबत समुचित कारण दिये गये हैं। अतः निवेदन है कि अपीलांट का दफा का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जावे।

(ii) विद्वान अभिभाषकगण रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। इनमें कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने खाता विभाजन सही किया है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा यह अपील लगभग 1 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अतः निवेदन है कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(i) यह मामला राज.काश्त.अधि. 1955 धारा 52 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें हम मौलिक रूप से निम्नलिखित खामियां निष्कर्षानुसार पाते हैं:-

(a) यह विधि का सामान्य नियम है कि बंटवारा या सांझेदारी जैसे मामलों में प्रथमतः न्यायालय प्राथमिक डिक्री, पक्षकारों को सुनकर एवं तनकी/विवाद्यक कायम कर पारित करने हेतु अग्रसर होता है।

(b) तत्पश्चात प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर तहसीलदार स्वयं जाकर पक्षकारों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्से व कब्जे की जांच कर इस हेतु राजस्थान काश्तकारी, राजस्व मण्डल नियम 18-20 की पालना करते हुए नक्शाजात मय रास्ते आदि का अंकन करते हुए पक्षकारों के समक्ष तैयार कर हस्ताक्षर करवाऐं व पालना रिपोर्ट अधी. न्यायालय को भिजवाये।

(c) प्रस्तुत मामलें में मुख्यरूप से उक्त दो प्रतिवाद ही उठाए गये हैं जिनसे यह न्यायालय सहमत है।

(d) यह कि आक्षेपित आदेश/निर्णय लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों की सहमति से किया गया बताया जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उसे नहीं सुना गया। ऐसी दशा में लोक अदालत की भावना दूषित हो जाती है। इस न्यायालय के मत में चाहे निर्णय लोक

अदालत में किया गयाा हो यह आज्ञापक है कि बंटवारे के मामलें में धारा 52(2) आर.टी. एक्ट तथा राजस्व मण्डल नियम 18–20 का परिशीलन आवश्यक रूप से किया जाए। साथ ही बंटवारे के मामलों में प्रथमतः उक्त आशय की प्राथमिक डिक्री निर्णय पक्षकारों को सुनकर विवाद्यक विरचित करके तनकीवार निर्णय किया जाए तथा पक्षकारों की राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जे व हिस्से की भूमि को अच्छे से अच्छी व बुरे से बुरी का निर्धारण करते हुए नक्शें में रास्ते आदि का अंकन करते हुए स्वयं तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी द्वारा तैयार किया जावे।

(e)प्रस्तुत मामले में ऐसा नहीं किया गया तथा अधी. न्यायालय ने बिना नक्शा मौका तैयार किये सीधे ही बिना प्रा.डिक्री जारी किये अन्तिम डिक्री जारी कर दी जोकि विधिसम्मत नहीं है। बंटवारे के मामलों में अधी. न्यायालय को अतिरिक्त सावचेतता बरतते हुए जल्दबाजी में निर्णय पारित करने से बचना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते हैं कि अपीलांट की अपील को मियाद बिन्दु पर माफी देते हुए प्रकरण पुनः अधी. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे एवं विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया जाए। लिहाजा अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण इस निर्णय में की गई विवेचनानुसार, विधिनुसार पारित करें। साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अधी. न्यायालय प्रकरण को 3 माह में विधितः निर्णित करें। दोनों. पक्षकार दिनांक 18-7-19 को अधी. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 28-6-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर